न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 39/2024 प्रार्थनापत्र

श्री रूपसिंह वगै. बनाम नाहरसिंह वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
31.7.24	पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित है । विपक्षी संख्या 1 की ओर से जरिये श्री मनिष जोशी अधिवक्ता के जवाब पेश हुआ जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलाई गई ।अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि प्रकरण संख्या 1/2020 अपील नामान्तरकरण अनवान् नाहरसिंह बनाम रूपसिंह वगैराह मे निर्णय दिनांक 7.3.2024 को हुआ जो एक पक्षीय हुआ है । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 न्याय से वंचित रह जायेगें । उक्त जमीन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 भेरूसिंह द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से खरीदी है जमीन पर अपीलाण्ट कब्जा कर देगा । रेस्पोडेण्ट नोटिस तामील होने के बाद न्यायालय मे उपस्थित हुए लेकिन कोरोना वायरस के कारण कार्य स्थगित था उसके बाद लोक डाउन लग गया व धंधा चोपट होने से मजदूरी हेतु महाराष्ट्र जाना पड गया जिससे वहां से छुट्टी नही मिलने के कारण नही आ सका व वापिस मुकदमे की जनकारी नही कर सका जिससे एक पक्षीय कार्यवाही होकर प्रकरण निर्णित हो गया व रेस्पोडेण्ट अपना पक्ष नही रख सके ।छुट्टी मिलने पर केलवाडा आकर पता किया तो जानकारी मिली की अपील का निस्तारण हो चुका है तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय प्रति प्राप्त कर एक तरफा निर्णय को अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय निर्णय/आदेश दिनांक 7.3.2024 को अपास्त किया जावे व निर्णय की पालना को स्थगित रखने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे भी स्वीकार फरमाया जावे । विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अधिवक्ता ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता जानबुझ कर न्यायालय मे उपस्थित नही हुए । संबंधित अपील मे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया उसके बावजूद भी उपस्थित नही हुए है सारे तथ्य मनगढन्त है जो स्वीकार योग्य नही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से चलने योग्य नही होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे । साथ ही निर्णय की कियान्विति को रोकने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे भी खारिज फरमाया जावे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि संबंधित अपील मे बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही हुई है । व संबंधित अपील मे गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य नही है । व साथ मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार योग्य नही है । अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है व प्रार्थना पत्र स्थगन भी खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी	